तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु वाद पत्र में आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर वादपत्र में बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 06.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
06.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
141 / 2022	2022 / 366	09.11.2022	06.07.2023 (अन्तिम डिकी)

उनवान प्रकरण

1. सुवालाल पुत्र कजोड आयु 66 वर्ष जाति जाट पेशा काश्त निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादी——

बनाम्

1. विमला देवी पत्नी जगदीश प्रसाद आयु   वर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—— प्रतिवादीगण ——

उपस्थितः—

श्री रघुनाथ सिंह, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।

वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—ः निर्णय ः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 2.2700

06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है० अवस्थित तन् ग्राम कंचनपुर गिरदावर हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में 4/5 हिस्सा वादी के नाम व 1/5 हिस्सा प्रतिवादीया नम्बर 1 के नाम अंकित है और इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदारी शामलाती होने से कई तरह की परेशानी होती हैं। हर समय प्रतिवादीया की सहमति लेनी पडती है। जिसमें प्रतिवादीया सहमति देने में आना कानी कर हैरान व परेशान करती हैं। उक्त भूमि का मौके पर बंटवारा होकर अलग–अलग सींव कायम हैं किन्तु उक्त सींव को लेकर भी कई बार अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो जाता हैं। इस कारण उक्त भूमि का विधिक तकासमा करवाया जाना अतिआवश्यक होने से दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। बाह्मी बंटवारा अर्सा 30 वर्ष पूर्व होने के बाद पक्षकारान उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहें हैं। बाह्मी बंटवारा अनुसार चले आ रहे कब्जा काश्त का नजरी नक्शा संलग्न हैं। उक्त नजरी नक्शा में दर्शित ए, बी, सी, डी, ई, से एफ दर्शित भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से डोटेड दर्शाया है तथा नजरी नक्शें में दर्शित ए, बी, एफ, जी का एरिया प्रतिवादीया के कब्जे में चला आ रहा हैं किन्तु उक्त बाह्मी विभाजन के बावजूद आये दिन भूमि कम ज्यादा को लेकर अनावश्यक विवाद होता रहता हैं। इस कारण भी विधिक विभाजन करवाया जाना आवश्यक होने से दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वादी ने बार–बार प्रतिवादीया को उक्त भूमि का विधिक विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया तब प्रतिवादीया पहले तो हां करती रही किन्तु दिनांक 20.10.2022 को उक्त विधिक विभाजन करवाने से स्पष्ट इंकार हो गई [illegible] वादी [illegible] धमकी दी कि वह अपना हिस्सा 1/5 दीगर भूमाफियाओं को [illegible] दखल करेगें व कब्जा मनमर्जी से कर निर्माण कार्य करेगे व तुम्हे पुराने चले आ रहे कब्जे से बेदखल करवाऊंगी। इससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore 06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वाद कारण उत्पन्न होकर लगातार बना हुआ है इस कारण भी दावा पेश करना आवश्यक हुआ। बिनाय दावा दिनांक 20.10.2022 को प्रतिवादीया द्वारा अपना 1/5 हिस्सा दीगर को बेचान करने की एहतमालिया धमकी देने से एव वादी को बेदखल करने की धमकी देने से अन्दर हद अदालत उत्पन्न होकर लगातार हो रहा है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि ख0न0 583 रकबा 2.2700 है0 अवस्थित तन् ग्राम कंचनपुर पटवार हल्का कंचनपुर गिरदावर हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर का वादी एवं प्रतिवादीया नम्बर 1 के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर वादीया के पूर्व में बंटवारे एवं कदीमी कब्जे के अनुसार मद नम्बर 3 में वर्णितानुसार ए. बी. सी. डी. ई से एफ दर्शित भूमि का वादी को उनके हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग–अलग बटा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर अलग लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग सीद कायम कर नक्शें में तरमीम करवाये जाने तथा प्रतिवादीया को उसाके कब्जे काश्त व पूर्व के बाइमी बंटवारे में आयी भूमि ख0 न0 583 के नजरी नक्शे में दर्शित ए. बी. एफ. जी की अलग से खातेदार घोषित कर अलग बट्टा नम्बर डालकर एक दूसरे के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने एंव प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाये जानें कि वे उक्त वर्णित भूमि ख0न0 583 रकबा 2.2700 है0 अवस्थित तन् ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर को बिना विधिक बंटवारा कराये दीगर अजनबी, मुनाफियावृत्ति के लोगों को किसी प्रकार से विकय पत्र, इकरारनामा, दानलेख से अन्तरित करें, ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग [illegible] किसी को रहन रखें ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ट भाग पर [illegible] करने का प्रयास करें, ना ही उक्त भूमियों के किसी भी भु भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करे, ना ही दीगर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी, श्रीमाधोपुर

करावे, ना ही वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त, निगरानी में कोई मदाखलत ना तो स्वयं करें, ना ही दीगर से करावे। दावा वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के बरखिलाफ साबित कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने पर वकील वादी ने प्रकरण के बटवारा से सम्बन्धित होने से वकील वादी ने वादी व प्रतिवादीगण के राजस्व हक हिस्सा में दर्ज हक हिस्सा अनुसार विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी ने प्रकरण के तकासमा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 30.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक ____/रीडर/2[illegible] दिनांक ...... के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव [illegible] तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पत्रांक 593/भू.अ./2023 दिनांक 25.03.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नक्शे नजरी [illegible] से प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.04.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादी अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने – अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर [illegible] रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन [illegible] अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

06/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 25.03.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार वैधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर्स)	किस्म	लगान (रू. में)
1	सुवालाल पुत्र कजोड़ जाति जाट	583/1	1.8100 पूर्वी दिशा		
	योग खाता	किता – 1	1.8100		
2	विमला देवी पत्नि जगदीश प्रसाद जाति जाट	583/2	0.46 पश्चिम दिशा		
	योग खाता	किता – 1	0.46		

06/07/23

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 593/भू.अ./23 दिनांक 25.03.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

06/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.17 16:30:14 IST
Reason: SelfAttested